



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270712
CG-DL-E-06032026-270712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 153]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

सं. 01/2026 – संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 159(अ).— केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 15, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 96 तथा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 14/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, जो सा.का.नि. 1004 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, स्तंभ (3) में, क्रम संख्यांक 3 और 4 की मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(i) सुश्री कृति निगम, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) दमन;”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस.-31011/35/2021-एसटी-1-डीओआर]

मथुरमन सी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में क्रमांक सा.का.नि.1004(अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई—

- (i) संख्यांक 03/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 16 मई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.366(अ) तारीख 16 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी;
- (ii) संख्यांक 05/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.781(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी;
- (iii) संख्यांक 06/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 24 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.948(अ) तारीख 24 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी;
- (iv) संख्यांक 01/2022-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 21 मार्च, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.214(अ) तारीख 21 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी;
- (v) संख्यांक 02/2022-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.849(अ) तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी; और
- (vi) संख्यांक 01/2023-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 12 मई, 2023, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.361(अ) तारीख 12 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

No. 01/2026 - Union territory Tax

G.S.R. 159(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), section 96 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and rule 103 of the Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 14/2018-Union territory Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 1004 (E), dated the 8th October, 2018, namely:

In the said notification, in the Table, against Sl. Nos. 3 and 4, in column (3), for item (i) and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely: -

“(i) Ms. Krati Nigam, Joint Commissioner, Central Goods and Services Tax (CGST) Daman;”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-31011/35/2021-ST-I-DoR]

MUTHURAMAN C, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1004(E), dated the 8th October, 2018 and subsequently amended, *vide* notification-

- (i) No. 03/2019-Union territory Tax, dated the 16th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 366(E), dated the 16th May, 2019;
- (ii) No. 05/2019-Union territory Tax, dated the 14th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 14th October, 2019;
- (iii) No. 06/2019-Union territory Tax, dated the 24th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 948(E), dated the 24th December, 2019;
- (iv) No. 01/2022-Union territory Tax, dated the 21st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 214(E), dated the 21st March, 2022
- (v) No. 02/2022-Union territory Tax, dated the 25th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 849(E), dated the 25th November, 2022; and
- (vi) No. 01/2023-Union territory Tax, dated the 12th May, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 12th May, 2023.